मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 22.02.2023 के क्रम में गठित कमेटी की जांच आख्या

दीनानाथ, राजेन्द्र, कतवारू आदि ग्रामवासीगण गौरीडीह मुहल्ला मखदूमपुर मलिक व मौजा मदापुर समसपुर विकास खण्ड घोसी जनपद मऊ द्वारा मा0 अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2022 को प्रेषित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम सभा मौजा गौरीडीह मुहल्ला मखदूपुर मलिक तहसील घोसी जनपद मऊ की आराजी संख्या 174 मि0 रकबा 0.476हे0 भूमि आबादी दर्ज है जिसमें गांव बसा हुआ है। उक्त आबादी के मध्य स्थित पोखरी पर अवैध कब्जा को खाली कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा ऑरिजनल अप्लिकेशन नम्बर 11/2023 दीनानाथ एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिनांक 22.02.2023 को आदेश पारित किये गये हैं जिसके बिन्दु संख्या 3 व 4 निम्नानुसार है:–

बिन्दु संख्या 3–In our view, the complaint and the grivevance raised in the matter can be looked into, at the first instance, by local authorities, for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Mau who shall look into the matter, visit the site, collect relevant information and if finds any violation, would take appropriate remedial action in accordance with law within two months.

बिन्दु संख्या 4–District Magistrate, Mau will be the nodal agency for compliance and coordination.

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या 191–763/सी.–6/सा0–750/ओ.ए.न.11/2023/2023 दिनांक 11.04.2023 के द्वारा स्थलीय निरीक्षण हेतु श्री श्री ओ.एच.सिददकी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ को स्थलीय जांच हेतु नामित किया गया था। जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 17.04.2023 को खण्ड विकास अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उप जिलाधिकारी घोसी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया।

स्थलीय जांच के दौरान दोनो पक्षों से वार्ता की गयी तथा मौके पर उपस्थित लोगो से पूछताछ की गयी। प्रार्थी दीनानाथ आदि पक्ष का कहना है कि राधेश्याम आदि के मकान के सामने पोखरी खुदवाई गई थी जिसे उनके द्वारा अतिक्रमण करके घर बना लिया गया। विपक्षी राधेश्याम आदि का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनकी पुश्तैनी आबादी है तथा उनका मकान पुराना बना है। मखदूमपुर मलिक पूर्व में अम्बेडकर ग्राम था तथा उस समय पानी की निकासी हेतु गढ्ढा खोदवाया गया था जो आज भी विद्यमान है तथा गांव का पानी उसमें बहता है।

उपजिलाधिकारी, घोसी की आख्या मांगी गयी। उपजिलाधिकारी, घोसी के कार्यालय के पत्रांक 240/एस.टी./एस.डी.एम. दिनांक 19.04.2023 के अनुसार राजस्व ग्राम मखदूमपुर मलिक की गाटा संख्या 174 तीन खातों में विभक्त है। वर्तमान खतौनी सन् 1428–1433 फ0 के खाता 68 के गाटा संख्या 174मि0 रकबा 0.008हे0 रामविलास व महेश पुत्रगण दुरबल व गरीब, रामनगीना पुत्रगण बीरबल व अवधनाथ, अभय कुमार पुत्रगण बेचू तथा श्रीमती सुराती पत्नी बेचू व श्रीमती कमली पत्नी नन्दू निवासी एकौना की भूमि है। साथ ही खाता संख्या 93 पर गाटा संख्या 174मि0 रकबा 0.009 साफिया बीबी के नाम श्रेणी 1 संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा खाता संख्या 105 पर गाटा संख्या 174 मि0 रकबा 0.476 हे0 आबादी खाते में दर्ज है। अतः स्पष्ट है कि गाटा संख्या 174 पोखरी खाते की भूमि नहीं है। बन्देबस्त में भी भूमि इसी अनुसार दर्ज है। आवेदक द्वारा मा0 ट्रिब्यूनल के

सामने गलत तथ्य रखा गया कि प्रश्नगत भूमि तालाब है। 1359 फसली से वर्तमान के राजस्व खतौनी में भूमि उपरोक्तानुसार दर्ज है। पोखरी की भूमि नहीं है।

गाटा संख्या 174मि0 में राधेश्याम के घर के सामने साइज 5X15 मीटर 0.0075 हे0 गढ्ढे के रूप में है जिस पर मौके पर कोई पेड़ नहीं है और न ही कोई जैव विविधता है। घरों का पानी गढ्ढे में अभी नाली के माध्यम से जा रहा है। कोई जल निकासी अवरूद्ध नहीं है। उक्त गढ्ढा ग्राम मखदूमपुर मलिक में है जिससे सटा खड़ण्जा है। उसके बाद ग्राम मदापुर समसपुर की सीमा है। ग्राम मदापुर समसपुर की ओर जमीन की ढाल नीची है तथा मखदूमपुर मलिक की बसी हुई आबादी भूमि ऊँची है। अतः पानी नेचुरल तौर पर मदापुर समसपुर की ओर बहता है। बरसात में कोई आपत्ति नही रहती। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की कोई सम्भावना नहीं है। स्थल पर कोई पशु–पक्षी विचरण नहीं करते हैं। अतः प्रदूषण से सम्बन्धित शिकायत निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का यह कथन कि यहां पर्यावरण व लोगो के स्वास्थ्य को खतरा है, पूर्ण रूप से गलत है एवं निराधार है।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में दिनांक 24.03.2011 को ग्राम–मखदूमपुर में पानी के निकासी की समस्या होने पर खुदाई करायी गयी थी। किन्तु राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि आबादी खाते में दर्ज है एवं इसकी नवैयत नहीं बदली जा सकती। आबादी की भूमि में अतिक्रमण के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय के आदेश के पश्चात् ही कार्यवाही अपेक्षित है।

अशोक कुमार पुत्र महेश प्रसाद निवासी गौरीडीह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में पी.आई.एल. संख्या 2080/2022 अशोक कुमार बनाम उ.प्र.सरकार व अन्य योजित किया गया है जिसमें इन्ही तथ्यों को लेकर रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी है। याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। प्रश्नगत भूमि तालाब के खाते में दर्ज नहीं है तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ही कोई कार्यवाही किया जाना ही उचित होगा।

तदनुसार दीनानाथ आदि के द्वारा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत आवेदन–पत्र निस्तारित किया जाता है।

(signature) 20/4/2023   (signature) 20 Apr 2023

(ओ.एच.सिद्दकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़।

(अरूण कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट,
मऊ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मऊ।

पत्रांक 242 /एस.टी./एस.डी.एम./घोसी   दिनांक : 20 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. रजिस्टार जनरल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. नगर मजिस्ट्रेट, मऊ।
4. उपजिलाधिकारी, घोसी।
5. खण्ड विकास अधिकारी, घोसी।

(signature) 20 Apr 2023

जिला मजिस्ट्रेट,
मऊ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी घोसी जनपद मऊ।

पत्रांक 240 /एसटी एसडीएम दिनांकः 19.04.2023

जिलाधिकारी,

मऊ।

महोदय,

कृपया दीनानाथ, राजेन्द्र, कतवारू आदि ग्रामवासीगण गौरीडीह मुहल्ला मखदूमपुर मलिक व मौजा मदापुर समसपुर विकास खण्ड घोसी जनपद मऊ द्वारा मा0 अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2022 एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा ऑरिजनल अप्लिकेशन नम्बर 11/2023 दीनानाथ एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिनांक 22.02.2023 को पारित आदेश का अवलोकन करने की कृपा करें।

दीनानाथ, राजेन्द्र, कतवारू आदि ग्रामवासीगण गौरीडीह मुहल्ला मखदूमपुर मलिक व मौजा मदापुर समसपुर विकास खण्ड घोसी जनपद मऊ द्वारा मा0 अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2022 को प्रेषित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम सभा मौजा गौरीडीह मुहल्ला मखदूपुर मलिक तहसील घोसी जनपद मऊ की आराजी संख्या 174 मि0 रकबा 0.476हे0 भूमि आबादी दर्ज है जिसमें गांव बसा हुआ है। उक्त आबादी के मध्य स्थित पोखरी पर अवैध कब्जा को खाली कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा ऑरिजनल अप्लिकेशन नम्बर 11/2023 दीनानाथ एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिनांक 22.02.2023 को आदेश पारित किये गये हैं जिसके बिन्दु संख्या 3 व 4 निम्नानुसार हैः-

बिन्दु संख्या 3-In our view, the complaint and the grivevance raised in the matter can be looked into, at the first instance, by local authorities, for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Mau who shall look into the matter, visit the site, collect relevant information and if finds any violation, would take appropriate remedial action in accordance with law within two months.

बिन्दु संख्या 4-District Magistrate, Mau will be the nodal agency for compliance and coordination.

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या 191-763/सी.-6/सा0-750/ओ.ए.न.11/2023/2023 दिनांक 11.04.2023 के द्वारा स्थलीय निरीक्षण हेतु श्री श्री ओ.एच.सिददकी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आजमगढ़ को स्थलीय जांच हेतु नामित किया गया था।

स्थलीय जांच के दौरान दोनो पक्षों से वार्ता की गयी तथा मौके पर उपस्थित लोगो से पूछताछ की गयी। प्रार्थी दीनानाथ आदि पक्ष का कहना है कि राधेश्याम आदि के मकान के सामने पोखरी खुदवाई गई थी जिसे उनके द्वारा अतिक्रमण करके घर बना लिया गया। विपक्षी राधेश्याम आदि का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनकी पुश्तैनी आबादी है तथा उनका मकान पुराना बना है। मखदूमपुर मलिक पूर्व में अम्बेडकर ग्राम था तथा उस समय पानी की निकासी हेतु गढ्ढा खोदवाया गया था जो आज भी विद्यमान है तथा गांव का पानी उसमें बहता है।

राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम मखदूमपुर मलिक की गाटा संख्या 174 तीन खातों में विभक्त है। वर्तमान खतौनी सन् 1428–1433 फ0 के खाता 68 के गाटा संख्या 174मि0 रकबा 0.008हे0 रामविलास व महेश पुत्रगण दुरबल व गरीब, रामनगीना पुत्रगण बीरबल व अवधनाथ, अभय कुमार पुत्रगण बेचू तथा श्रीमती सुराती पत्नी बेचू व श्रीमती कमली पत्नी नन्दू निवासी एकौना की भूमि है। साथ ही खाता संख्या 93 पर गाटा संख्या 174मि0 रकबा 0.009 साफिया बीबी के नाम श्रेणी 1 संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा खाता संख्या 105 पर गाटा संख्या 174 मि0 रकबा 0.476 हे0 आबादी खाते में दर्ज है। अतः स्पष्ट है कि गाटा संख्या 174 पोखरी खाते की भूमि नहीं है। बन्देबस्त में भी भूमि इसी अनुसार दर्ज है। मा0 ट्रिब्यूनल के सामने गलत तथ्य रखा गया कि प्रश्नगत भूमि तालाब है। 1359 फसली से वर्तमान के राजस्व खतौनी में भूमि उपरोक्तानुसार दर्ज है। पोखरी की भूमि नहीं है।

गाटा संख्या 174मि0 में राधेश्याम के घर के सामने साइज 5X15 मीटर 0.0075 हे0 गढ्ढे के रूप में है जिस पर मौके पर कोई पेड़ नहीं है और न ही कोई जैव विविधता है। घरों का पानी गढ्ढे में अभी नाली के माध्यम से जा रहा है। कोई जल निकासी अवरूद्ध नहीं है। उक्त गढ्ढा ग्राम मखदूमपुर मलिक में है जिससे सटा खड़ण्जा है। उसके बाद ग्राम मदापुर समसपुर की सीमा है। ग्राम मदापुर समसपुर की ओर जमीन की ढाल नीची है तथा मखदूमपुर मलिक की बसी हुई आबादी भूमि ऊँची है। अतः पानी नेचुरल तौर पर मदापुर समसपुर की ओर बहता है। बरसात में कोई आपत्ति नहीं रहती। वैज्ञानिक एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की कोई सम्भावना नहीं है। स्थल पर कोई पशु–पक्षी विचरण नहीं करते हैं। अतः प्रदूषण से सम्बन्धित शिकायत निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का यह कथन कि यहां पर्यावरण व लोगो के स्वास्थ्य को खतरा है, पूर्ण रूप से गलत है एवं निराधार है।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में दिनांक 24.03.2011 को ग्राम–मखदूमपुर में पानी के निकासी की समस्या होने पर खुदाई करायी गयी थी। किन्तु राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि आबादी खाते में दर्ज है एवं इसकी नवैयत नहीं बदली जा सकती। आबादी की भूमि में अतिक्रमण के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय के आदेश के पश्चात् ही कार्यवाही अपेक्षित है।

अशोक कुमार पुत्र महेश प्रसाद निवासी गौरीडीह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में पी.आई.एल. संख्या 2080/2022 अशोक कुमार बनाम उ.प्र.सरकार व अन्य योजित किया गया है जिसमें इन्ही तथ्यों को लेकर रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी है। याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। प्रश्नगत भूमि तालाब के खाते में दर्ज नहीं है तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ही कोई कार्यवाही किया जाना ही उचित होगा।

भवदीय,

19.4.23

(सुरेश कुमार)
उप जिलाधिकारी घोसी,
जनपद मऊ।

कडी बुजुर्ग
सदा पुर शमस पुर
शाह पुर

नकल खसरा ग्राम मखदूमपुर मलिक परगना व तहसील घोसी जिला मऊ साल 1430 फ0

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नं0 खाता खतौनी	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल: खरीफ: फसल	क्षेत्रफल: खरीफ: सिंचित	क्षेत्रफल: खरीफ: असिंचित	क्षेत्रफल: रबी: फसल	क्षेत्रफल: रबी: सिंचित	क्षेत्रफल: रबी: असिंचित	क्षेत्रफल: जायद: फसल	क्षेत्रफल: जायद: सिंचित	क्षेत्रफल: जायद: असिंचित	फसली क्षेत्रफल दो: सिंचित	फसली क्षेत्रफल दो: असिंचित	आकर्षित भूमि: माप	आकर्षित भूमि: क्षेत्रफल	खेत के पूरे बढ़े हुए पेड़ों की संखया	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
174	-493	68 / -008	रामविलास, महेश, गीब रामनगीना, अवधनाथ अभय कुमार श्रीमती सुराती श्रीमती कमली देवी		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	-008		
		93 / 0.009	साफिया बीबी		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		105 / -476	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आबादी	-476		

सत्य प्रतिलिपि मैनुअल मुताबिक सरकारी कार्य हेतु।

Chauhan
ह0- 481719
11-4-2023

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1961472023033

ग्राम क्रमांक : 196147 ग्राम का नाम / परगना : मखदुमपुर मलिक(घोसी) तहसील : घोसी जनपद : मऊ फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------------------------------2--------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00068	रामविलास / द्रुवल / देह महेश / द्रुवल / देह गरीब / वीरबल / नि. ग्राम रामनगीना / वीरबल / नि. ग्राम अवधनाथ / बेचू / नि. ग्राम अभय कुमार / बेचू / नि. ग्राम श्रीमती सुराती / बेचू / नि. ग्राम श्रीमती कमली देवी / नन्द / एकौना हा0मु0मखदमपुर मलिक	1385	174मि.	0.0080			
			1	0.0080	₹ 0.30	0	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य शून्य आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव तीन शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: AWANINDRA MANI PANDEY

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

सक्षम अधिकारी: AWANINDRA MANI PANDEY
तहसील: घोसी जनपद: मऊ
दिनांक एवं समय: 02-03-2023 02:15:55
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

भूलेख कम्प्यूटर कक्ष जनपद-मऊ तहसील-घोसी

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1961472023034

ग्राम क्रमांक : 196147 ग्राम का नाम / परगना : मखदुमपुर मलिक(घोसी) तहसील : घोसी जनपद : मऊ फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	---------------------------------2---------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00093	साफिया वीवी उर्फ राफिया वीवी / अबरार अहमद / पट्टीमुहम्मद उर्फ काजीपुरा	1385	103मि.	0.0020			
		1385	106	0.0010			
		1385	174	0.0090			
			3	0.0120	₹ 0.85	0	0

कुल गाटे- तीन कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य एक दो शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव आठ पाँच रुपये

11

Data Digitally Signed by: AWANINDRA MANI PANDEY

NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

सक्षम अधिकारी: AWANINDRA MANI PANDEY
तहसील: घोसी जनपद: मऊ
दिनांक एवं समय: 02-03-2023 02:16:09

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

भूलेख कम्प्यूटर कक्ष जनपद मऊ तहसील-घोसी

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1961472023035

ग्राम क्रमांक : 196147 ग्राम का नाम / परगना : मखदुमपुर मलिक(घोसी) तहसील : घोसी जनपद : मऊ फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	------------------------------2------------------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।							
00105	आवादी / /		134 144 173 174मि.	0.4390 0.2140 0.0060 0.4760			
			4	1.1350	₹ 0.00	0	0

कुल गाटे- चार कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव एक तीन पाँच शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: AWANINDRA MANI PANDEY

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

सक्षम अधिकारी: AWANINDRA MANI PANDEY
तहसील: घोसी जनपद: मऊ
दिनांक एवं समय: 02-03-2023 02:16:22
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

Item No. 05 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 11/2023

Deenanath & Ors. Applicant(s)

Versus

State of UP Respondent

Date of hearing: 22.02.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a complaint received by email/post

ORDER

1. The original application under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') has been registered on a letter petition dated 18.07.2022 received from a number of applicants i.e. Deenanath and others, who are all residents of Village Gram Panchayat Gauridih, Mohalla Makhdampur Malik and Mauja Madapur Samaspur Development Block, District Mau.

2. The allegation is that there is a pond (pokhri) in the village, near the residence of one Radheshyam, wherein rain water and other surface runoff is collected for water conservation and maintain habitats for birds etc. The said pond (pokhri) was also maintained by spending money under MGNREGA Act in 2010-2011. Now some miscreants namely Radheshyam and Vishundev sons of Jadhu, Ajit s/o Ramashray, Bheem s/o Radheshyam, Rahul s/o Vishundev, Jitendra s/o Komal and Vishwajeet s/o Jitendra have illegally encroached upon the land of the

water body and disturbing ecology of the pond, damaging wildlife which is also resulting in water stagnation in the village adversely affecting the residents of the village and also causing health hazards.

3. In our view, the complaint and the grievance raised in the matter can be looked into, at the first instance, by local authorities, for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Mau who shall look into the matter, visit the site, collect relevant information and if finds any violation, would take appropriate remedial action in accordance with law within two months.

4. District Magistrate, Mau will be the nodal agency for compliance and coordination.

5. Further, an action taken report by the said Committee shall be submitted to the Registrar General by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, who shall, if find necessary for any further order place the matter before the Bench.

6. The application is disposed of.

7. A copy of this order be forwarded to State PCB and District Magistrate, Mau by e-mail for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 22, 2023
Original Application No. 11/2023
SN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H91763 /सी.–6/सा0–750/O.A. No.11/2023/2023 Dated 11-4-23

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/
ई–मेल द्वारा

सेवा में,
जिलाधिकारी,
मऊ।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.11/2023 दीनानाथ व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2023 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच.89990/सी0–6/सा0–750/O.A. No.11/2023/2023 दिनांक 27.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.11/2023 दीनानाथ व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित संलग्न आदेश दिनांक 22.02.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है :–

"............2. The allegation is that there is a pond (pokhri) in the village, near the residence of one Radheshyam, wherein rain water and other surface runoff is collected for water conservation and maintain habitats for birds etc. The said pond (pokhri) was also maintained by spending money under MGNREGA Act in 2010-2011. Now some miscreants namely Radheshyam and Vishundev sons of Jadhu, Ajit s/o Ramashray, Bheem s/o Radheshyam, Rahul s/o Vishundev, Jitendra s/o Komal and Vishwajeet s/o Jitendra have illegally encroached upon the land of the water body and disturbing ecology of the pond, damaging wildlife which is also resulting in water stagnation in the village adversely affecting the residents of the village and also causing health hazards.

3. In our view, the complaint and the grievance raised in the matter can be looked into, at the first instance, by local authorities, for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Mau who shall look into the matter, visit the site, collect relevant information and if finds any violation, would take appropriate remedial action in accordance with law within two months.

4. District Magistrate, Mau will be the nodal agency for compliance and coordination.

5. Further, an action taken report by the said Committee shall be submitted to the Registrar General by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, who shall, if find necessary for any further order place the matter before the Bench.

6. The application is disposed of. ...."

मा0 अधिकरण द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी, मऊ की एक संयुक्त समिति गठित करते हुये समिति द्वारा 02 माह में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त प्रकरण मे आपको मा0. एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डा0 एस0सी0 शुक्ला, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया गया था। अग्रेतर अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मऊ के पत्र सं0–288/एसटी दिनांक 11.04.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि डा0 एस0सी0 शुक्ला, क्षेत्रीय अधिकारी को नगर निकाय चुनाव में निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसके कारण डा0 एस0सी0 शुक्ला, क्षेत्रीय अधिकारी के स्थान पर श्री ओ0एच0 सिद्दीकी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है। जिनका मो0 07839891987, ई–मेल roazamgarh@uppcb.in है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

जिलाधिकारी
मऊ 12-4-23

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी, मऊ से समन्वय स्थापित करते हुये मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराये।

सदस्य सचिव

Court No. - 6

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 2080 of 2022

Petitioner :- Ashok Kumar
Respondent :- State Of U.P. And 7 Others
Counsel for Petitioner :- Ram Bachan Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Rameshwar Prasad Shukla

Hon'ble J.J. Munir,J.

Learned Standing Counsel accepts notice on behalf of respondent Nos. 1, 2 and 3.

Let the District Magistrate, Mau, file a counter affidavit indicating whether Plot No.174, admeasuring 0.0760 hectares situate in village Gaurideeh Makhdumpur, Tehsil Ghosi, District Mau, is a pond that has been constructed upon and encroached by the private respondents.

Issue notice to respondent Nos. 4 to 8 returnable on 12.01.2023.

Steps be taken by RPAD within a week.

List this petition on **12.01.2023**.

Order Date :- 7.12.2022
NSC

Digitally signed by NARENDRA SINGH CHAUDHARY
Date: 2022.12.08 09:51:32 IST
Reason:
Location: High Court of Judicature at Allahabad

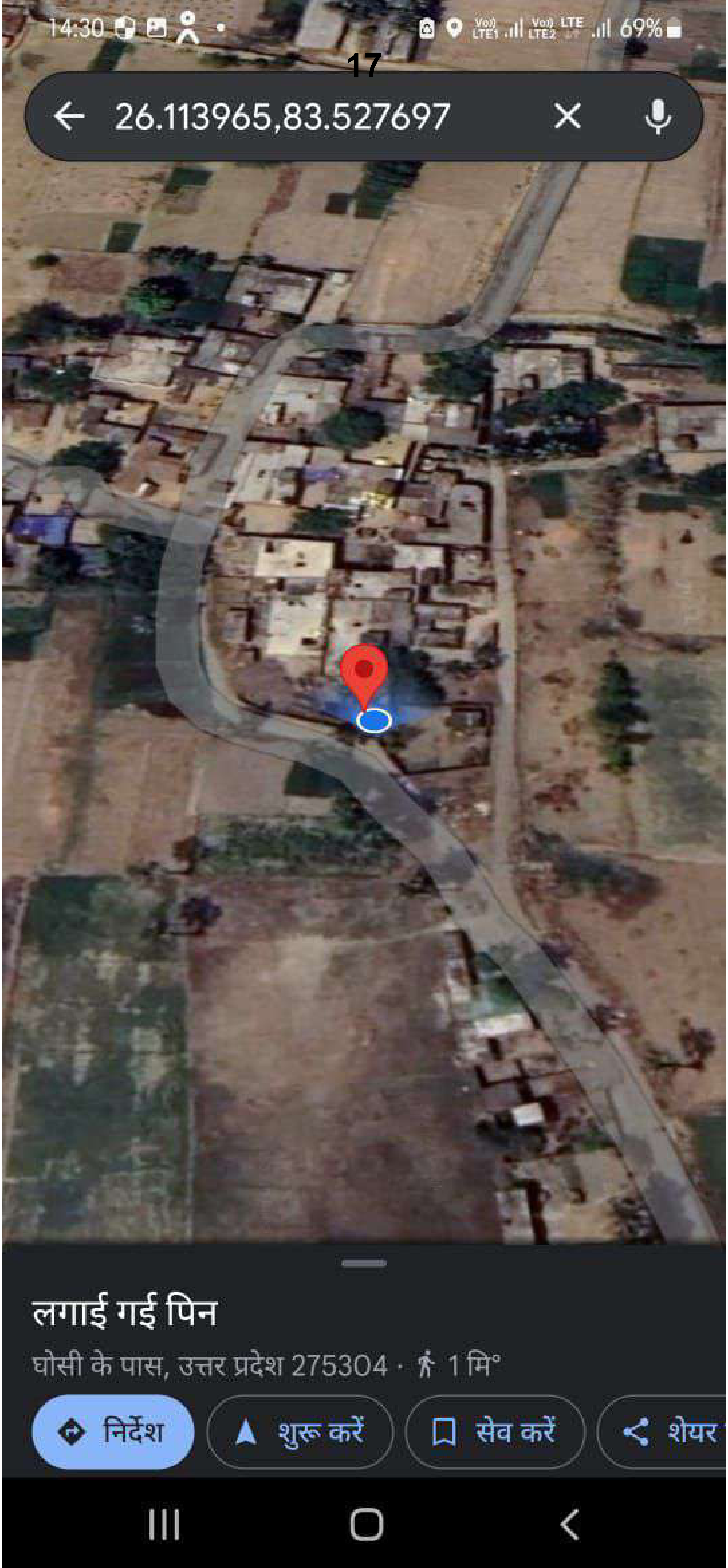
14:30
69%
26.113965,83.527697
लगाई गई पिन
घोसी के पास, उत्तर प्रदेश 275304 · 1 मि॰
निर्देश
शुरू करें
सेव करें
शेयर

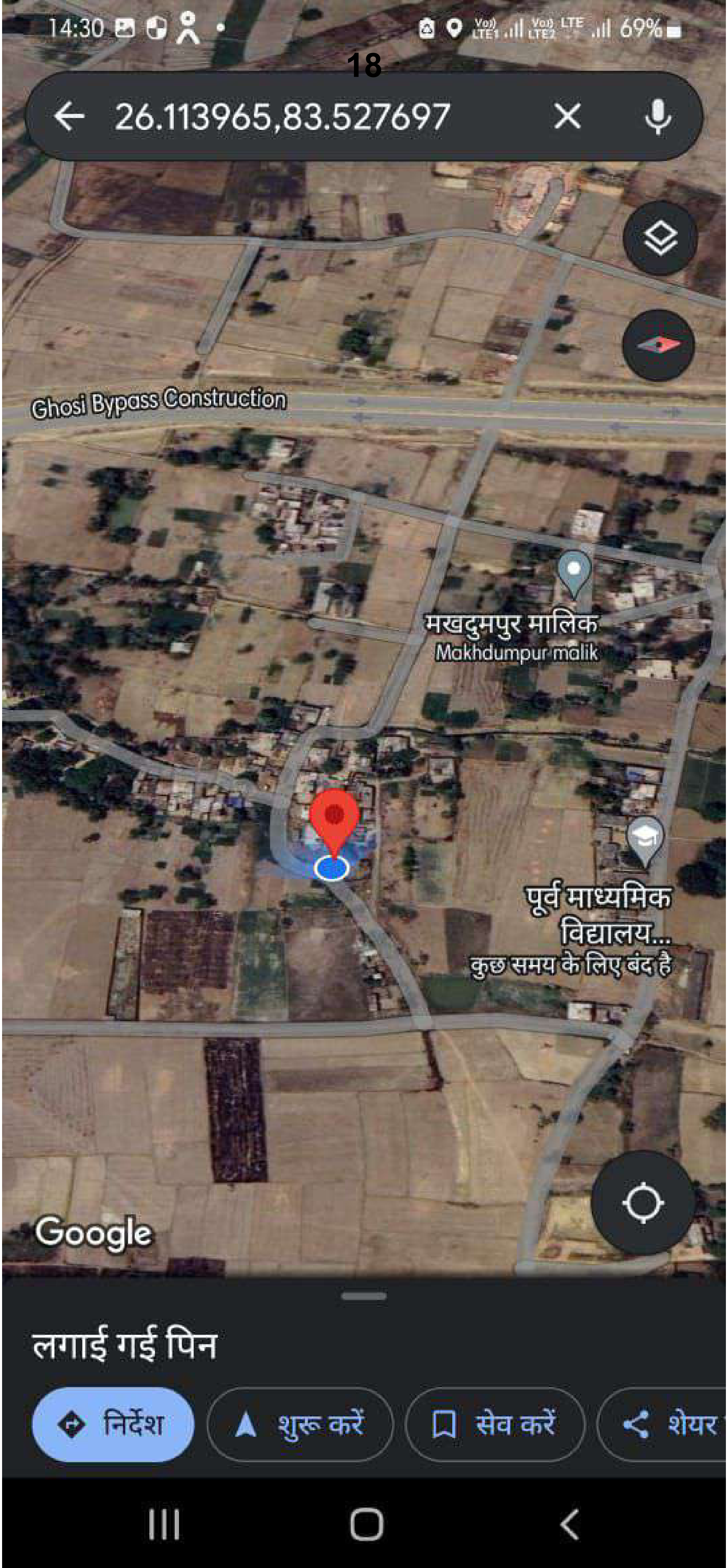
14:30
69%
26.113965,83.527697
Ghosi Bypass Construction
मखदुमपुर मालिक
Makhdumpur malik
पूर्व माध्यमिक विद्यालय...
कुछ समय के लिए बंद है
Google
लगाई गई पिन
निर्देश
शुरू करें
सेव करें
शेयर

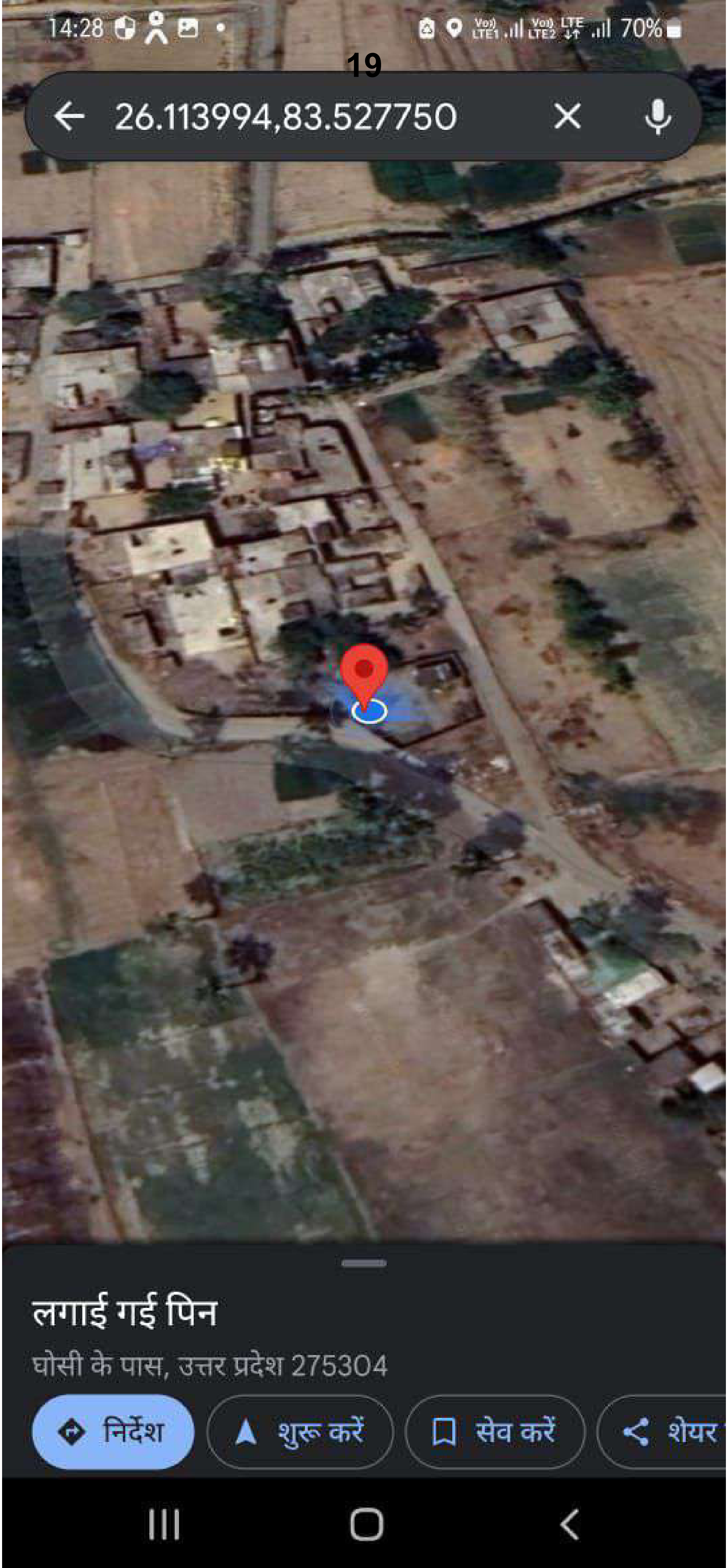
14:28
70%
26.113994,83.527750
लगाई गई पिन
घोसी के पास, उत्तर प्रदेश 275304
निर्देश
शुरू करें
सेव करें
शेयर

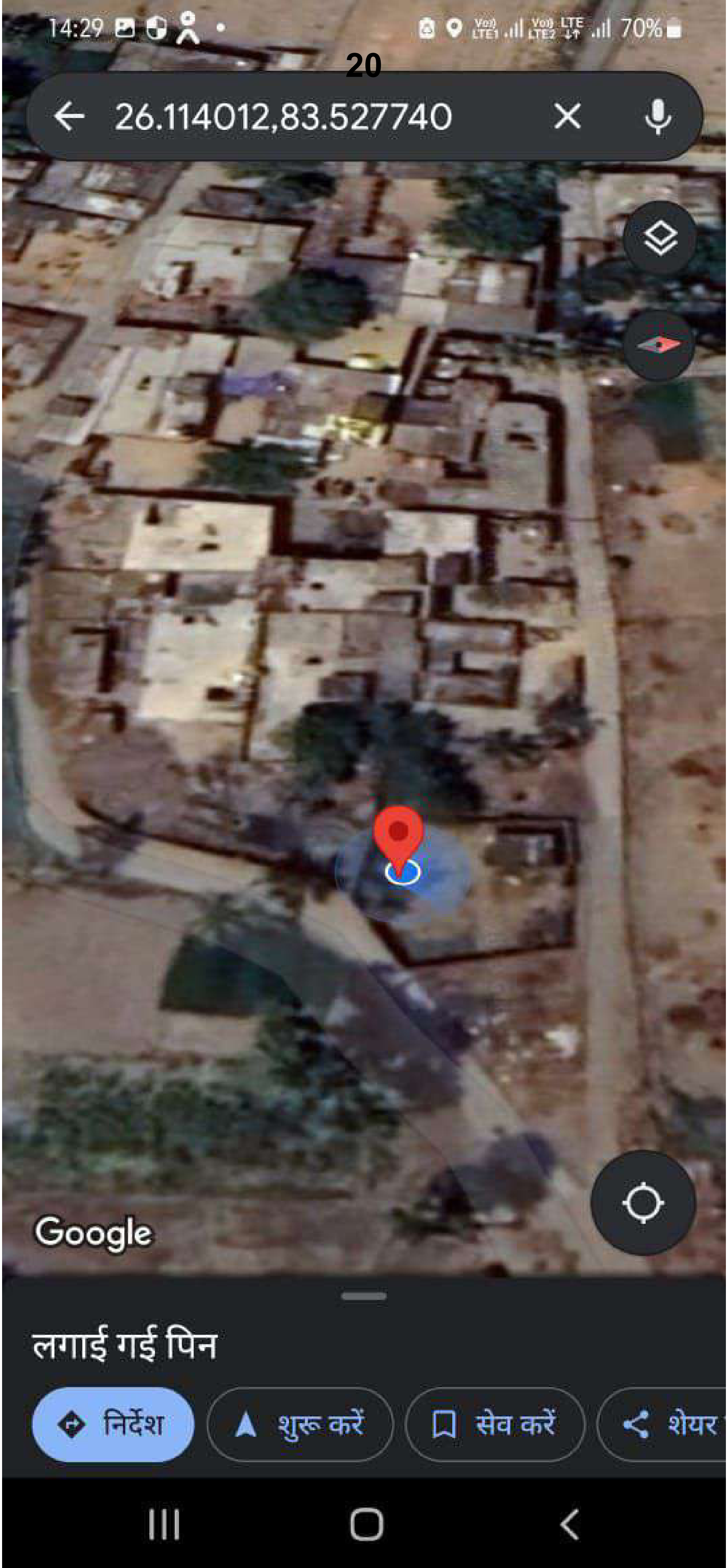
14:29
70%
26.114012,83.527740
Google
लगाई गई पिन
निर्देश
शुरू करें
सेव करें
शेयर